...को पेश हो।

दि० 3-4-18
पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब S.C./S.T. [illegible] ड्यूटी में होने से [illegible]
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 20-4-18 को पेश हो।

[signature]

दि० 20-4-18

वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 [illegible] डवलपमेंट सरकार उप.। अप्रार्थी सं. 3 स्टेट डवलपमेंट सरकार जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से समय दिया जाकर [illegible] पत्रावली अप्रार्थी स्टेट के जवाब हेतु [illegible] में दिनांक 9.5.2018 को पेश हो।

[signature]

दि० 9-5-2018

आज यह पत्रावली [illegible] अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट [illegible] आबादी में मेरे समक्ष पेश हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के जारी नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने [illegible] किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स्वयं या उनके अधिवक्तागण को हाजिर होने हेतु बार-बार आवाजें लगवाने के बावजूद भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व उनके वकील कोई भी हाजिर नहीं हुये हैं।

विचारणीय इस प्रकरण में अप्रार्थी 3 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही द्वारा इस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 251 (क) R.T.Act पर नोटिस [illegible] करके से [illegible] नोटिस [illegible] विचारण प्रकरण की इस पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 251 (क) R.T.Act, [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

संवत 2068-2071 खाता सं. 359 मय खसरा नं. 1262 क्षेत्रफल 7.5200 हेक्टेयर, ख.नं. 1263 क्षेत्रफल 5.4800 हेक्टेयर, ख.नं. 1264 क्षेत्रफल 0.1100 हेक्टेयर ख.नं. 1266 क्षेत्रफल 0.1500 हेक्टेयर तथा ख.नं. 1267 क्षेत्रफल 0.2000 हेक्टेयर कुल 5 कुल क्षेत्रफल 13.4600 हेक्टेयर, नक्शा [illegible] का तथा अप्रार्थी बगताराम व ओटाराम का संयुक्त जवाब का अवलोकन पूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के बाद निष्कर्ष स्वरूप तथ्य यह सामने आये कि विवादित काश्त की भूमि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार उक्त वर्णित काश्त की भूमि के संयुक्त खातेदार देवीया पुलीया [illegible] ओटाराम पुत्र [illegible] हीरी [illegible] हेमाजी पुत्र हेमाजी बगताराम पुत्र हेमाजी हीपुबाई पत्नि स्व. हेमाजी छोगी, बाबा पुत्र [illegible] रमेश पुत्र [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible] 12/25 हि. बा. सोना पुत्र [illegible] [illegible] माताजी [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] 13/100 [illegible] पुत्र [illegible] 12/100 [illegible] 13/100 [illegible] [illegible] जैसाराम, तेजाराम, [illegible] पुत्रीया [illegible] पिता 13/50 छोगी [illegible] पुत्रीया [illegible] उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी व खातेदार [illegible] उक्त भूमि [illegible] प्रार्थी [illegible] ने यह सकेले [illegible] काश्त की है जबकि जमाबंदी अनुसार [illegible] पुत्री के अलावा उक्त भाई देवीया, पुलीया, माता [illegible] के अलावा [illegible] लेकिन [illegible] प्रार्थी [illegible] बतौर प्रार्थी पक्षकार नहीं बनाया है प्रार्थी ने [illegible] बगताराम व ओटाराम [illegible] अप्रार्थीगण में [illegible] हीपुबाई को [illegible] पत्नि हेमाजी [illegible] सह खातेदारान को पक्षकार बतौर अप्रार्थीगण नहीं बनाया है उक्त वर्णित खसरा [illegible] की कृषि भूमि अविभाजित है इस वजह से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस खातेदार का किस ख.नं. में कितने रकबे पर काबिज काश्त है [illegible] अनुसार तो उक्त वर्णित कृषि भूमि के विभाजन के उपरान्त ही होगा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी की काश्त होने तथा भूमि अविभाजित होने तथा विधिवत रूप से जमाबंदी [illegible] से भी विभाजन नहीं होने तथा जमाबंदी [illegible] सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने से विचारणीय [illegible] 251 (क) R.T. Act प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र [illegible] [illegible] कायम [illegible] विधि की [illegible] [illegible] आदेश [illegible]